भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 871209

ट्रस्ट–डीड / न्यास पत्र

हम कि कृष्ण कान्त मिश्र पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश मिश्र व श्रीमती उषा मिश्रा पत्नी श्री कृष्ण कान्त मिश्र 31/A-2 इमिलिया जनपद–मऊ इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी है जो दिनांक 11.01.2011 को अस्तित्व में लाया गया। मै कृष्ण कान्त मिश्र मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम व उषा मिश्रा महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए शान्ती सेवा ट्रस्ट की घोषणा करते हैं।

ट्रस्ट का नाम पता निम्नवत है:–

ट्रस्ट (न्यास) का नाम	:	**शान्ती सेवा ट्रस्ट**
ट्रस्ट का पता	:	31/A-2 इमिलिया जपनद– मऊ
ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय	:	31/A-2 इमिलिया जपनद– मऊ
ट्रस्ट का क्षेत्रीय कार्यालय	:	ग्रा0,पो0–फुलेश, जनपद–आजमगढ।
कार्यक्षेत्र–	:	सम्पूर्ण भारत वर्ष।

प्रबन्धक
ओम् प्रकाश मिश्र स्मारक महाविद्यालय
मोलनापुर,अतरपकरा-फुलेश, आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये ₹.50 | भारत | सत्यमेव जयते | INDIA | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 871210

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान की है।

क्र० सं०	पिता / पति का नाम	पद	पता
1	कृष्ण कान्त मिश्र पुत्र स्व० श्री ओमप्रकाश मिश्र	मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम	31/A-2 इमिलिया जनपद मऊ
2	श्रीमती उषा मिश्रा पत्नी श्री कृष्ण कान्त मिश्र	महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय	31/ A-2 इमिलिया जनपद मऊ
3	श्रीमती शान्ती देवी मिश्रा पत्नी स्व० श्री ओमप्रकाशमिश्र	सदस्य	ग्रा०,पो० फुलेश जनपद– आजमगढ ।
4	श्री शशिकान्त मिश्र पुत्र स्व० श्री ओमप्रकाश मिश्र	सदस्य	1/147 विशेष खण्ड गोमतीनगर लखनऊ ।
5	श्रीमती रीता मिश्रा पत्नी श्री शशिकान्त मिश्र	सदस्य	1/147 विशेष खण्ड गोमतीनगर लखनऊ ।
6	श्री रामचन्द्र मिश्र पुत्र स्व० श्री माता प्रसाद मिश्र	सदस्य	ग्रा०–पहिलेपुर, पो०–बिन्द्रा बाजार जनपद–आजमगढ।
7	श्री हरिप्रकाश यादव पुत्र श्री रामनिहोर यादव	सदस्य	ग्रा०–पकरौल, पो०–चितारा महमूदपुर, जनपद–आजमगढ़।

प्रबन्धक
ओम् प्रकाश मिश्र स्मारक महाविद्यालय
मोलनापुर,अहरौला-फुलेश, आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु. 50 — भारत — सत्यमेव जयते — INDIA — FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 871211

4. ट्रस्ट का मुख्य उददेश्य : ट्रस्ट के निम्न उददेश्य होगें–

- ट्रस्ट का मुख्य उददेश्य भिन्न–भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएँ यानि प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, शैक्षणिक विद्यालय, चिकित्सा, मेडिकल कालेज, शिक्षा का प्रचार/ प्रसार/ उन्नयन, प्रबन्धन तथा विधि महाविद्यालय एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना।
- प्रौढ शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था करना एवं संचालन करना, शिक्षा का देश–प्रदेश के कोने–कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना व संस्थानो की स्थापना करना।
- बी0टी0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0, टेक्निकल कालेज, सी0बी0एस0ई0 के स्कूलों की स्थापना करना उ0 प्र0 सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना।
- पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना तथा इस उददेश्य हेतु संस्थाओं को स्थापित करना तथा अभिविद्धत करना ।
- न्यास के उददेश्यों की प्राप्ति हेतु जनता को अध्ययन,अनुसंधान,अध्यापन आदि की संस्थाओं आदि मे सुविधा प्रदान करना जिससे कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह हो सकें।
- इस न्यास व इसके उददेश्यों का प्रचार–प्रसार ऐसे माध्यमों द्वारा करना जो उचित समझे जाये विशेष रूप से जैसे प्रेस परिपत्र(सरकूलर्स) इसके कार्यो के प्रदर्शनी, पारितोषिक तथा दान आदि वितरित करना ।

3

प्रबन्धक
ओम् प्रकाश मिश्र स्मारक महाविद्यालय
...मदबक्श-फुलेश, आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 871212

- अस्पताल, स्कूल, अभियंत्रण, चिकित्सा, प्रबन्धन तथा विधि विद्यालय, डिस्पेन्सरी, प्रसूति गृह, बाल कल्याण केन्द्र परिचर्या गृह तथा अन्य इसी प्रकार के पूर्त संस्थाओं, की जन सामान्य के लाभ हेतु भारत या विदेश मे ही स्थापना करना, उनका उत्थान करना व उन्हे धन व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना ।
- परिवार कल्याण एवं उससे सम्बन्धित अन्य समस्त प्रकार के कार्यक्रम ।
- विभिन्न संक्रामक/गैर संक्रामक बीमारियों जैसे–एड्स, मस्तिष्क ज्वर, कुष्ठ रोग, कैंसर, पोलियों, मोतियाबिन्द आदि के रोकथाम के लिए सरकार व अन्य सामाजिक संगठनों तथा व्यक्तियों के मदद से कार्य करना ।
- उद्यान (पार्क), व्यायामशाला, क्रीडा क्लब व धार्मिक स्थान व विश्राम गृह, मनोरंजन क्लब, धर्मशाला आदि की जन सामान्य के उपयोग के लिए स्थापना करना, उन्हे चलाना तथा उनकी सहायता करना ।
- हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध आदि धर्मो के लोगों को संगठित करना तथा सेवा आदि के लिये गुरूद्वारा मंदिर निर्मित करना और उसका प्रबन्धन करना और मंदिर में पूजा के लिए मूर्तियों लगवाना ।
- विचारकों, विधवाओं, अन्धों, वृद्धों, गरीबों, जरूरतमंदों, अभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए आश्रम गृह, धर्मशाला विद्यालय, नवजात शिशुओं के लिए आश्रम गृह अनाथालय आदि स्थापित करना व उनका प्रबन्धन करना और इस प्रकार के लोगों की सहायता करना ।
- शारीरिक रूप से विकलांग, अक्षम और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिये संस्थान की स्थापना करना तथा विकास करना जिसमे ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा, भोजन,कपड़ा आदि देकर सहायता की जाय ।

Kamlesh Kant Mishra

प्रबन्धक
ओमू प्रकाश मिश्र स्मारक महाविद्यालय
मोलनापुर,अहमदमपुर-फुलेश, आजमगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 871213

- अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओ की स्थापना व सहायता करना ।
- अनाथ,गरीब,विकलांग बच्चों हेतु आवासीय/अनावासीय विद्यालयों की स्थापना व संचालन करना ।
- प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में सरकार के विभिन्न योजनाओं को संचालित करने हेतु गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) के रूप में सहभागिता करना।
- कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह–उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार निरोध, मानवाधिकार आयोग से सम्बन्धित कार्य, कानून एवं व्यवस्था का विकास, स्वैच्छीकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक, चिकित्सा, कम्प्यूटर कृषि इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन,खाद्य एवं रसद, मनोरंजन, बाल विकास एवं पुष्टाहार, श्रम, भूतत्व एवं खनिज कर्म, खेलकूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायती राज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायत राज, बैकिंग भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सतर्कता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जनसम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व,

प्रबन्धक
ओम् प्रकाश मिश्र स्मारक महाविद्यालय
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 871214

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणी उद्यान,एड्स नियंत्रण, गंगा–यमुना आदि स्वेच्छीकरण, आपदा राहत, पेयजल एवं स्वच्छता, सहकारी समितियाँ, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थाएँ, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट सेंसिंग, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान आन्तरिक लेखा परीक्षा,संगीत,नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपभोक्ता संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डारा, विचार, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थाएँ आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना ।

- उपरोक्त सभी क्रिया–कलापों हेतु राज्य / केन्द्र सरकार / अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं / अन्य राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्टों तथा जागरूक व्यक्तियों से अनुदान / मदद प्राप्त करना ।
- अनुदान / दान आदि प्राप्त करने के लिए न्यास परिषद के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी ही अधिकृत होगें।
- ट्रस्ट की मूल राशि से आय उत्पन्न तथा दान एवं अन्य सहयोग से समय–समय पर लेकर ट्रस्ट की सम्पत्ति की वृद्धि करना ।
- ग्रामीण / शहरी क्षेत्रों में समस्त प्रकार के क्षेत्रों में व्यवसायिक शिक्षा / प्रशिक्षण देना एवं गरीब / कमजोर / अनाथ युवक / युवतियों को स्वावलम्बित बनाने हेतु अन्य सभी सरकारी योजनाओं मे गैर सरकारी संस्था(एन0जी0ओ0) के रूप मे कार्य करना।
- छात्र–छात्राओं,कामकाजी महिलाओं,वृद्धों,विधवाओं तथा अनाथों के लिए छात्रावास / आश्रम की व्यवस्था जिसमें शिक्षा / भोजन की सुविधायें भी हो ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 871215

<u>न्याय की धन सम्पदा एवं सम्पत्तियॉं–</u> न्यास की उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के संस्थापक श्री कृष्ण कान्त मिश्र द्वारा दिये गये दस हजार रूपये (रू010000/–) को ट्रस्ट की मूल राशि कहा जायेगा।

ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति (न्यासी परिषद) अपनी सामान्य शक्तियों को अप्रभावित रखते हुए भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अनुरूप निम्नलिखित शक्तियॉं धारण करेगी ।

- ट्रस्ट/ न्यास के लिए सहयेाग,चन्दा,आम जनता, किसी भी व्यक्ति,फर्म, एसोशिएशन, किसी अन्य न्यास या कारपोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि या अन्य किसी रूप में शर्तो के साथ या बिना शर्तो के स्वीकार करना ।
- इस न्यास पत्र की शर्तो के अधीन न्याय की सम्पत्तियॉं तथा आय या उसके किसी भाग को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने विवेकानुसार समय–समय पर उपयेाग करना ।
- न्यास राशि को बढ़ाने हेतु न्यास की शर्तो के अधीन न्यास के लिए चल व अचल सम्पत्तियॉं प्राप्त करना ।
- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समय–समय पर न्यास की सम्पत्तियों का विकय करना, बंधक रखना,पट्टे पर देना, लाईसेंस पर देना व किसी अन्य प्रकार अन्तरित करना।
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13 (1) तथा धारा 11 (5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना ।
- विभिन्न योजनाओं मे लगाये गये न्यास के धन को वापस लेना उसमें परिवर्धन करना या निरस्त करना ।
- न्यास के उद्देश्यों के हित में समझौता करना, अनुबन्ध करना, तथा उन्हे परिवर्तित एवं निरस्त करना ।

Krishna Kant Mishra

प्रबन्धक
ओम् प्रकाश मिश्र स्मारक महाविद्यालय
...फुलेश, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
W 871216

- न्यास के उद्देश्यों हेतु मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम द्वारा अनुदान प्राप्त करना या देना तथा उसकी रसीद देना या प्राप्त करना ।
- सरकार के समक्ष तथा न्यायालय, ट्रिब्यूनल, राजस्व, म्युनिस्पल तथा स्थानीय निकाय आदि के सम्मुख न्यास का प्रतिनिधित्व करना तथा सभी प्रकार के मुदकमें वाद, अपील,रिव्यू चाहें वह न्यायालय के समक्ष हो या अन्य अधिकारियों व निकाय व ट्रिब्यूनल के समक्ष आदि को दायर करना, उन्हे चलाना तथा ऐसे वादों मे जो न्यास के विरूद्ध दायर किये गये हो न्यास के हित की प्रतिरक्षा करना ।
- न्यासियों द्वारा निर्धारित शर्तो व वेतन पर किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को न्यास के कार्यो हेतु नियुक्त करना और ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना और उनकी सेवायें समाप्त करना । न्यास परिषद के ऐसे कार्यो को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि मे विवादित नही किया जा सकेगा या चुनौती नही दी जा सकेगी ।
- न्यास की सम्पत्ति या क्रिया–कलापों के जरूरी प्रबन्धन के लिए न्यास परिषद जो भी व्यय या खर्च आवश्यक समझे उनका वहन करना ।
- न्यास या उसके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि के सम्बन्ध में बैंक में खाता खोलना तथा एक या एक से अधिक न्यासी द्वारा उक्त बैंक खाता खोलने तथा चलाने की व्यवस्था करना।
- न्यास परिषद की सहमति पर अपनी कुछ शक्तियॉ किसी न्यासी या अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधिनित करना, परन्तु ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को न्यासीगणों के नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रखना।
- न्यास की चल या अचल सम्पत्ति व फण्ड किसी ऐसे अन्य न्यास को हस्तान्तरित करना, जो इस न्यारा के समान हो तथा आयकर अधिनियम 1980 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो।

प्रबन्धक
ओम प्रकाश मिश्र स्मारक महाविद्यालय

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 871217

- न्यासियों की सहमति पर लोगों को न्यास की संचालित संस्थाओं का समय–समय पर सदस्य बनाना तथा नियम व परिनियम को बनाना तथा उसमे परिवर्तन करना, परन्तु संस्थाओं के ऐसे सदस्यों को इस न्यास में मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- न्यासीगणों की सहमति से निर्धारित शर्तों के अनुसार न्यास की अचल सम्पत्ति को किराये पर देना या हस्तान्तरित करना ।
- न्यास राशि के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही शर्तो,दावों,मॉग,मुकदमा आदि के सम्बन्ध मे समझौता करने, मध्यस्थ को सौपने तथा समायोजित करना ।
- न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिनियम तथा योजनाएँ बनाना व उनमे परिवर्तन करना और न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास/न्यासों द्वारा संचालित संस्थाओं के क्रिया–कलापों के प्रबन्धन आदि हेतु योजनायें तथा परिनियम बनाना व उनमे परिवर्तन करना ।
- जनहित मे किसी भी पूर्त संस्था को प्रारम्भ करना, समाप्त करना, स्थगित करना,पुनः प्रारम्भ करना या स्थापित करना और उन संस्थाओं को प्राप्त दान व चन्दा के सम्बन्ध में शर्ते लागू करना ।
- न्यास की आय न्यास के विभिन्न उद्देश्यों के अनसार विभाजित करना और न्यास निधि मे जमा करना ।
- देश व विदेश मे ऐसे न्यास, न्यास पूर्त संस्थायें/सोसाइटी/संगठन आदि की न्यास की आय मे से दान आदि देकर सहायता करना, जिनके उद्देश्य इस न्यास के समकक्ष व समान हो तथा और किसी भी प्रकार से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें॥ ऐसे न्यासों,न्यास पूर्व संस्थाओं/ समितियों/ संगठनों इत्यादि को पुनः प्रारम्भ करना, अनुरक्षित करना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु संचालित करना ।

प्रबन्धक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 871218

- संस्था के खातों का व्यवस्थित करना तथा हानि का दायित्व न लेते हुए न्यास के कार्य कलापों,कार्यवाहियों,माँगों दावों या वाद–विवाद मे जैसा व उचित समझे समझौता करना, उसका परित्याग करना या न्यास को फैसले हेतु सौपना।
- न्यास की सम्पत्ति पर या किसी अन्य प्रकार से जमानत पर या जमानत बिना ऋण लेना और न्यासीगण की सहमति पर न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण धनराशि देय ब्याज इत्यादि की शर्तो का निर्धारण न्यासीकरण की विवेकानुसार किया जायेगा ।
- न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मुख्य संस्थापक ट्रस्टी द्वारा सरकार, सहकारी संस्थाएं, कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों से दान, चन्दा, उपहार, अनुदान, मदद एवं धन लेने के लिए प्रार्थना–पत्र देना तथा चन्दा आदि प्राप्त करना। इस सम्बन्ध में सहायता सम्बन्धी शर्तो को निश्चित करना तथा शासकीय विभागों, सरकारी संस्थाओं, कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों आदि से न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वार्ता करना, समझौता करना तथा अनुदान की प्राप्त तथा ऋण वापसी इत्यादि की शर्ते इत्यादि निर्धारित करना ।
- न्यासीगण की सहमति पर न्यास को अन्य समान उद्देश्यों वाले न्यास/सोसाइटी/संगठन व संस्था का सहयोगी बनाना या सम्मेलन करना जो कि आयकर अधिनियम 1861 की धारा 80 जी मे मान्यता प्राप्त हो या ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार मे लेना ।
- न्यास की अन्य शाखा अन्य न्यास या उसकी शाखा(जिसके उद्देश्य समान हो) को स्थापित करना, अनुरक्षित करना, व्यवस्थित करना, सहायता करना, संचालित करना या उन्हे इस न्यास से जोड़ना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना ।
- ऐसे संस्थाओं को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हे प्रतिबंधित करना या उन्हे सहायता देना या अनुरक्षित करना, जिनका उद्देश्य न्यास के समान व समकक्ष हो तथा इस समबन्ध में शर्ते लागू करना ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु 50 Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 871219

- इस न्यास मे जिन अन्य न्यासों, संस्थाओं,संगठनों,समितियों को सम्मिलित किया जा सकता है, को खरीदना व प्राप्त करना ।
- न्यास की सम्पत्ति,आस्ति,दायित्व आदि किसी अन्य ऐसे न्यास, समिति,संस्था या संगठन को हस्तान्तरित करना, जिसमें न्यास का विलय होना अधिकृत किया गया है।
- न्यास को उन अन्य समिति, संस्था, न्याय या संगठन को उन शर्तो मे सौपना जिन्हे न्यासीगण उचित समझें, परन्तु इस सम्बन्ध में संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की अनुमति आवश्यक होगी एवं ऐसा होने पर न्यासीगण अपने दायित्व से उनमोचित हो जायेगें और न्यास की राशि भी हस्तान्तरित हो जायेगी ।
- न्यास के आर्वतक व अनार्वतक व होने वाले खर्चो को निश्चित करना,उन्हें अनुमोदित करना व आवंटित करना और इस सम्बन्ध में न्यासीगण कार्यभार के सम्बन्ध में और इससे सम्बन्धित होने वाली बैठकों के सम्बन्ध में नियम बना सकते है और उन नियमों का समय–समय पर संशोधित कर सकते है। इस प्रकार बनाये गये सभी नियम संस्थापक ट्रस्टी प्रथम द्वारा अनुमोदन होने के उपरान्त ही प्रभावी होगें।
- न्यास व इसकी संस्थाओं के संचालन व परिवर्धन हेतु व्यक्ति या व्यक्तियों जिसमें न्यासी/प्रबन्ध–न्यासी, व समिति आदि शामिल है, को नियमानुसार नियुक्त करना तथा इस सम्बन्ध में अपने नियम व परिनियम बनाना एवं विभिन्न पूँजी व निवेश के सम्बन्ध में न्यास के प्रावधानों के अनुसार नियम व परिनियम बनाना तथा विभिन्न न्यासी नियुक्त करना ।
- न्यासीगण आवश्यकतानुसार मानदेय पर कर्मचारी व सहयोगी नियुक्त कर सकते है, जिससे न्यास का समुचित प्रावधान किया जा सकें।
- न्यासीगण को यह अधिकार होगा कि वे आर्थिक तकनीकी व अन्य प्रकार की सहायता व अन्य व्यक्तियों से अधिकारियों या संस्था से उन शर्तो पर ले सकते है जो उन्हे उचित लगे तथा जो न्यास के उददश्यों से सामंजस्य रखती हो।

Krishn Kant Mishra

प्रबन्धक
ओम् प्रकाश मिश्र स्मारक महाविद्यालय
भोलापुर,अम्बेडकरनगर-फुलेश, आज़मगढ़

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
FIFTY RUPEES
रु.50
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 871220

- न्यासीगण अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग आपसी बहुमत के निर्णय के आधार पर कर सकेगें और बहुमत द्वारा लिए गये निर्णय प्रभावी कानूनी व उचित माने जायेगें।
- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष के अनुमति से अन्य ट्रस्टों की वित्तीय या अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध कराना ।

<u>ट्रस्ट का कार्यकाल</u> – ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बनेगा रहेगा प्रथम ट्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी की पत्नी/पुत्र या पुत्रवध/पुत्री क्रमश जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेंगे, इनके न रहने पर ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा।

<u>ट्रस्ट की सदस्यता</u> – ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 7 होगी एवं ट्रस्ट में किसी भी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय की सहमति से एक लाख रूपये (रू0 1,00,000/–) सदस्यता शुल्क जमा करा कर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट को अधिक प्रजातांत्रिक बनाने एवं अधिकतम कार्यकुशलता लाने के दृष्टिकोण से समाज के सम्मानित सदस्यों को ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनाया जा सकता है। इस सदस्य को साधारण सदस्य कहा जायेगा । ट्रस्ट /न्याय का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाले ऐसे सभी लोग जो ट्रस्ट को एक लाख रूपये (रू01,00,000/–) दान दें, संस्थापक सदस्यों के बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी के लिखित सहमति के उपरान्त ट्रस्ट/न्यास के सदस्य बन सकते है परन्तु प्रबन्ध समिति में प्रबधक संस्थापक ट्रस्टी/ मुख्य ट्रस्टी ही

प्रबन्धक
ओमु प्रकाश मिश्र स्मारक महाविद्यालय
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु.50 | Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 871221

होगा तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी ही होगा।

<u>ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य :–</u>

मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम :–

1. ट्रस्ट की साधारण सभा या पदाधिकारियों या अन्य सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं उनके सुचारू संचालन हेतु नियम निर्देश तय करना ।
2. मतदान की स्थिति में समान मत होने की स्थिति में मतदान करना।
3. ट्रस्ट के नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति/असहमति लिखित रूप में प्रदान करना।
4. न्यास/न्यास से संबंधित समस्त संस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय निर्णयों(जो ट्रस्ट द्वारा लिये गये हो) के क्रियान्वयन को स्वयं या किसी के माध्यम से सुनिश्चित करना ।
5. न्यास के सभी पत्राचार मुख्य ट्रस्टी के नाम होगें ।
6. न्यास की समस्त राशियों का व खातों का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय के सहयोग से संचालन।
7. सभी प्रकार के वित्तीय हिसाब–किताब रखना तथा ट्रस्ट की बैठकों में उन्हें प्रस्तुत करना ।
8. जहाँ कहीं किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो वहाँ अन्तिम निर्णय देना।
9. मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि भवन का क्रय विक्रय लीज (पट्टा)करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करेगा।
10. मुख्य ट्रस्टी चल–अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।
11. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश–विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है।

प्रबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 871222

12. संस्था के कर्मचारियो की नियुक्ति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।
13. संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी भी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है। यह प्राविधान संस्थापक एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।
14. नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद जारी करना।

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय–

1. संस्थापक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य ट्रस्टी को अवगत करायेगा।
2. बैठक बुलाना एवं सूचना देना।
3. ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए दिशा–निर्देश देना।
4. ट्रस्अ (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाएं प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त कार्यों का सम्पादन करना।
5. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार होंगे।
6. ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

प्रबन्धक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | भारत | सत्यमेव जयते | INDIA | FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 871223

सदस्य ट्रस्टी–

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्यास) के अंग–

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा (गठन)

साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे इसके अतिरिक्त 1,00,000/– रू0 संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये संस्थाओं के लिए होंगे।

बैठकें–

1. **साधारण बैठकें**–ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार मार्च व सितम्बर माह में होगी।
2. **विशेष बैठक**–दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

प्रबन्धक
ओम् प्रकाश मिश्र स्मारक महाविद्यालय
मेलनापुर, अहमदपुर-फुलेश, आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 871224

सूचना अवधि–साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव, संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठकें बुलाई जा सकती हैं।

गणपूर्ति–बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन–साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्त्तव्य–साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे।

(अ) वार्षिक आय–व्यय बजट चेक करना।

(ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के योजना एवं बजट निश्चित करना।

(स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

(द) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के विकास के लिए समय–समय पर उनके कार्यों को करना जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति–

गठन–साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होंगे। प्रबन्धक, सचिव/मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य। कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा या संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एव अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेती। प्रबन्ध समिति कालीतीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में

प्रबन्धक

ओम् प्रकाश मिश्र स्मारक महाविद्यालय

मौलनापुर, अहमदाबाद-फूलेश, आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 871225

निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें–

सामान्य– सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव/संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष– विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की मांग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि–साधारण स्थिति में प्रबन्ध ट्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति–यदि किसी सदस्य के असामयिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय की अनुमति आवश्यक हैं यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी को भरने के लिए लागू नहीं होगी। नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से

प्रबन्धक
ओम् प्रकाश मिश्र स्मारक महाविद्यालय
मोहनापुर, अहमदनगर-पुलेश, आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 871226

2/3 बहुमत के अतिरिक्त 1,00,000/–रूपये नगद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी । शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक है।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्त्तव्य– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे।

1. बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।
2. ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।
3. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।
4. आय–व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया–

समय–समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्धन कर सकती है। नियमावली की कटिंग, अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी

ट्रस्ट (न्यास) के कोष –

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/ डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी/महासचिव ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

प्रबन्धक

ओमप्रकाश मिश्र स्नातक महाविद्यालय

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 871227

ट्रस्ट (न्यास) के आय–व्यय का लेखा परीक्षण–
प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व– ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध समस्त अदाती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित नियुक्त कर सकती है।

ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख– ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे–सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के पास होंगे।

संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, एटीजी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

प्रबन्धक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH W 871228

विघटन :– अगर कभी इस ट्रस्ट के विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा। ट्रैस्ट **(न्यास)** के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक – 11-01-2011 Krishna Kt Mishra

हस्ताक्षर गवाह – चेतन कुमार पाण्डेय S/o श्री राजनारायण पाण्डेय
भाटिया टोला, मऊनाथभंजन जनपद- मऊ

गवाह - अर्जुन सिंह पुत्र स्व० समुरान सिंह ग्राम हरदा
तह० सदर जनपद - मऊ

प्रबन्धक
ओम् प्रकाश मिश्र स्मारक महाविद्यालय
भोलनापुर, अहमदनगर-फुलेश, आजमगढ़